



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय / DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

“बिटा बिल्डिंग”, 9 वी मंजिल / “BETA BUILDING”, 9th FLOOR

आय-थिंक टेक्नो कैंम्पस / I-THINK TECHNO CAMPUS

कांजुर गाँव रोड / KANJUR VILLAGE ROAD

कांजुर मार्ग (ईस्ट) / KANJUR MARG (EAST)

मुंबई - 400 042 / MUMBAI - 400 042

टेलीफोन: 022-25752040/1/2/3

फैक्स: 022-25752029/35

ई-मेल: dgship-dgs@nic.in

वेब: www.dgshipping.gov.in

Tele: 022-25752040/1/2/3

Fax: 022-25752029/35

E-mail: dgship-dgs@nic.in

Web: www.dgshipping.gov.in

फाईल संख्या-पी.बी.30(13)/2016-विविध

दिनांक: 01-02-2018

कार्यालय आदेश संख्या- 10/2018

श्री डी.डी. मानकीकर, कन्सलटेंट, हेल्प डेस्क ई-गवर्नंस द्वारा त्याग पत्र दिए जाने पर नौवहन महानिदेशालय ने श्री बी.वी. चिटिमिल्ला कार्य पर लगाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है कार्यकारी अधिकारी के रूप में नौवहन महानिदेशालय में इने कार्य करने का अनुभव है तथा यह कम्प्यूटर पर कार्य और टंकन करना भी जानते हैं। नई ई-गवर्नंस परियोजना के लिए हेल्प डेस्क सेल में संविधा आधार पर दिनांक 02-01-2018 से 05-06-2018 तक निम्नोक्त शर्त और निबंधनों के अनुसार कार्य पर लगाया जाता है।

कन्सलटेंट द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे।

- 1) नौवहन महानिदेशालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा दी गई सेवा के प्रति प्रयोक्ता के संतोष पर विकसित की गई नई फीडबैक प्रणाली पर नजर रखना और उसका विश्लेषण करना कन्सलटेंट द्वारा हर तिमाही के अगले महिने के पहले सप्ताह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत कि जाएगी ओन-लाईन सह वृत्ती फीडबैक विश्लेषण किया जाएगा और उनके द्वारा बेस लाईन सर्वेक्षक डाटा के साथ इसे मिलाए जाएगा तथा इस मंत्रालय द्वारा भेजे जाने हेतु उप नौवहन महानिदेशक ई-गवर्नंस के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- 2) हेल्प डेस्क, ट्विटर लोकशिकायत पोर्टल ई-समिक्षा और ई-संवाद पर आई शिकायतों फीडबैक पर नजर रखना और इनका विश्लेषण कर निपटान करना।
- 3) नौवहन महानिदेशालय की सरकारी वेबसाईट पर नौवहन महानिदेशालय के विभिन्न आदेशों/वापोप सूचना/ परिपत्रों का समेकन, पुनः समूहित करना/ पुनः व्यवस्थित करना।
- 4) इलेक्ट्रॉनिक न्यूजलेटर को प्रकाशित करने की तयारी करना और समुद्री जगत के सभी हित धारियों को इसे भेजा जाना।
- 5) सलाहकार द्वारा उक्त कार्य समय सिमा में और सक्षम पदाधिकारी के संतुष्टी के अनुरूप पूरे किए जाएंगे।
- 6) श्री बी.वी. चिटिमिल्ला पूर्व कार्यकारी अधिकारी को कार्य पर लगाया जाने के लिए शर्तें और निबंधन निम्ननुसार है :
 - i) परिलब्धि (पूर्व में लिया गया वेतन-पेंशन) + उस पर डी.ए. का प्रतिशत होगा कन्सलटेंट किसी अन्य भत्ते का हकदार नहीं होगा।

ii) यह नियुक्ति पूर्णकालीन आधार पर होगी तथा नौवहन महानिदेशालय में कन्सलटेंट की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं होगी ।

iii) कन्सलटेंट को सीसीएस. (आचार) नियम 1964 के अंतर्गत नियत नियमों के अनुसार में अनुशासन बनाए रखने और पूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ कार्य करने की अपेक्षा होगी ।

iv) कन्सलटेंट की नियुक्ति अस्थाई रूप से की जाएगी और बिना कीई कारण बताए ऐसा किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा ।

v) कन्सलटेंट किसी अधिनियम / नियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी लाभ का दावा नहीं करेगा।


vi) कन्सलटेंट को आवश्यकता पडने पर राजप्रत्रित अवकाश के दिन भी बुलाया जा सकेगा और वे प्रतिपूरक अवकाश के ही पात्र होंगे ।

vii) कन्सलटेंट 6 मास की अवधि में 4 दिन के लिए अवकाश के लिए पात्र होंगे ।

viii) कन्सलटेंट को आवश्यकता पडने पर शाम देर तक रूकना होगा ।

ix) कन्सलटेंट को पूर्वोक्त शर्त और निबंधनों के प्रति सहमत होना होगा और उनके नियुक्ति समय उन्हें एक नॉन डिसक्लोजर पर हस्ताक्षर करने होंगे ।

यदि उपर्युक्त शर्तों और निबंधनों पर कार्य करने के इस प्रस्ताव पर स्वीकार किया जाता है तो उन्हें दिनांक 02-01-2018 से नौवहन महानिदेशालय मुंबई-400042 में कार्य पर लगाया जाने के लिए विचार किया जा सकता है।


(सुरेन्द्र कुमार)
सहायक नौवहन महानिदेशक

सेवा में,

श्री बी.वी. चिटिमिल्ला, सेवानिवृत्त, कार्यकारी अधिकारी, नौवहन महानिदेशालय मुंबई।

प्रतिलिपि,

नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव।

उप नौवहन महानिदेशक के वरिष्ठ निजी सचिव।

उप नौवहन महानिदेशक ई-गर्वनस / वित्त एवं लेखा ।

उप नौवहन महानिदेशक प्रशासन।

वित्तीय एवं लेखा अनुभाग ।

वेतन एवं लोखा अधिकारी (नौवहन) मुंबई।

कार्यालय आदेश फाईल ।